(37)

(54)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1330–दो/2006, विरूद्ध आदेश दिनांक 10–03–2006 पारित द्वारा न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 374/अ–6/2005–06

जुद्दे तनय गुविंदा काछी
निवासी–ग्राम सैदपुरा, तहसील पृथ्वीपुर
जिला–टीकमगढ़ (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

महिला राम प्यारी पुत्री गुविंदा काछी
पत्नी घनश्याम कुशवाह
निवासी–ग्राम सैदपुरा, तहसील पृथ्वीपुर
जिला–टीकमगढ़ (म0प्र0)

..... अनावेदक

.....

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक

श्री ए0के0 अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/1/11 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–03–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सैतपुरा की भूमि सर्वे नं0 279/4 रकबा 2.508 हैक्टयर के भाग 3/8 का भूमिस्वामी राजस्व रिकार्ड में गुविन्दी बल्द खुमान अंकित है । गुविन्दी बल्द खुमान की मृत्यु उपरांत आवेदक जुद्दे द्वारा पटवारी सैतपुरा के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । पटवारी द्वारा आवेदक के पक्ष में नामांतरण कर दिया गया । नामांतरण पंजी क्रं0 2 पर दिनांक 05.12.2000 प्रविष्टी अंकित है । इसी प्रविष्टी के संबंध में अनावेदिका द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे पटवारी ने फर्जी मानकर निराकरण हेतु तहसीलदार के न्यायालय में भेजा । न्यायालय तहसीलदार ने साक्ष्य लेकर विवादित प्रकरण क्रमांक 26/अ–6/2000–01 पंजीबद्ध कर पारित आदेश दिनांक 11.04.2001 से आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.04.2001 से परिवेदित होकर अनावेदिका द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । न्यायालय अनुविभगीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 177/अपील/2000–01 पंजीबद्ध कर, तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.04.2001 निरस्त करते हुये, पारित आदेश दिनांक 15.10.2003 को अपील स्वीकार की गई तथा प्रकरण तहसीलदार न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया। न्यायालय अनुविभगीय अधिकारी द्वारा प्रत्यावर्तित आदेश दिनांक 15.10.2003 के निर्देशानुसार प्रकरण पुनः प्रारंभ किया एवं पारित आदेश दिनांक 25.08.2004 से प्रकरण में अनावेदिका के साक्ष्य लिये गये । प्रकरण में तहसीलदार के आदेश दिनांक 25.08.2004 के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के यहॉ निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 37/अ–6/2003–04 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 16.02.2006 से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की गई । अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2006 से दुखी होकर अनावेदिका द्वारा निगरानी अपर आयुक्त सागर के समक्ष पेश की गई जो प्रकरण क्रमांक 374/अ–6/2005–06 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 10.03.2006 को प्रस्तुत निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.03.2006 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अनावेदिका रामप्यारी ने संहिता की धारा 44 के अंतर्गत एक अपील तहसीलदार पृथ्वीपुर के प्रकरण क्रमांक 26/अ–6/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 11.04.01 के विरूद्ध प्रस्तुत की है । तहसीलदार ने प्रकरण में इश्तहार जारी किया व साक्ष्य आदि लेकर विवादित भूमि पर मृतक गोविंदी के पुत्र जुद्द का नामांतरण स्वीकार किया है । तहसीलदार ने अपने विवेकानुसार इस प्रकरण का इश्तहार जारी कराया था, साक्ष्य आदि लेकर अपने निर्णय में भूमि मृतक गुविंदी के पुत्र जुद्दे के नाम नामांतरण स्वीकार किया गया, रामप्यारी के द्वारा न्यायालय तहसीलदार को दोषी मानते हुये यह कहा है कि " अधीनस्थ न्यायालय ने संहिता के अंतर्गत बनाये गये नियमों का पालन नहीं किया है । अनावेदिका को सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया, और इश्तहार नहीं दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार को विधिवत पक्षकार नहीं बनाया है, और जो लेखपत्र दिया है, उसको झूठा साबित किया है "। तर्क में यह भी बताया कि आवेदक के द्वारा सभी दस्तावेज जो कि इस प्रकरण में आवश्यक थे, प्रस्तुत किया है और जो लेख प्रस्तुत किया गया है, उस पर भी रामप्यारी के हस्ताक्षर है । अनावेदिका रामप्यारी ने लेख पर हस्ताक्षर भी किये थे, उस समय श्री भरोसी कुशवाह, निवासी सैतपुरा, मल्ते रैकवार निवासी सैतपुरा के समक्ष यह हस्ताक्षर किये थे, लेकिन आज न्यायालय में लेख पर किये हुये हस्ताक्षरों को झूठा साबित करती है, इससे रामप्यारी के द्वारा न्यायालय को गुमराह किया गया है । अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त के आदेश को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदिका के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अनावेदिका को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया एवं इश्तहार जारी नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदिका को विधिवत पक्षकार नहीं बनाया है । आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय से सांठगांठ कर फर्जी शपथ–पत्र व लेख करवा कर तथा अन्य किसी को पेश कराकर बयान लिये गये है जो एक षडंयत्र पूर्वक आपराधिक कृत्य है । अनावेदिका द्वारा कोई भी लेख व शपथ–पत्र नहीं लिखा गया

है और न ही न्यायालय में पेश किया गया है । मृतक गुविंदी के दो वारिस जुद्दे व रामप्यारी है । अतः मृतक की भूमि पर दोनों का नामांतरण बराबर हिस्से पर किया जाना चाहिए । अंत में अनावेदिका के अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी तथा अपर आयुक्त सागर के आदेश को यथावत रखते हुये निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। प्रकरण में निगरानी मात्र इस आदेश के खिलाफ पेश है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनावेदिका के शपथ–पत्र को प्रदर्शित कर साक्ष्य में लिया जाए या नहीं । आवेदक ने अपनी इस निगरानी में जो भी बिन्दु उठाएं है वह प्रकरण के गुण–दोष पर है । यह स्पष्ट है कि अनावेदिका जिसका वह कथित शपथ–पत्र है, स्वयं विचारण न्यायालय में अपने कथन कराने को उपस्थित है ऐसे में उसके शपथ–पत्र का कोई महत्व नहीं रह जाता है तथा तहसीलदार ने इस सम्बन्ध में आवेदक की मांग को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । ऐसा लगता है कि आवेदक कथित शपथ–पत्र तथा 'लेख' जो कि एक तरह का वसीयतनामा है दोनों को एक साथ रखकर तहसीलदार के अन्तरिम आदेश को देख रहा है, जबकि उक्त लेख– पहले से ही प्रदर्शित है तथा तहसीलदार का निगरानीधीन आदेश उसके सम्बन्ध में नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर